अध्याय–II

लेखापरीक्षा परिणाम

नगर निगम

2.1 अग्रिम प्राप्त कर्त्ताओं से अग्रिम की वसूली न किया जाना।

अग्रिम रू0 14.56 करोड़ की वसूली न किया जना।

छोटे भुगतान हेतु पारित वाउचरों या मस्टर रोलों के भुगतान हेतु कर्मचारियों/ व्यक्तियों को अस्थाई अग्रिम दिया जाता है। अग्रिम का लेखा शीघ्रातिशीघ्र बन्द कर दिया जाना चाहिये तथा अप्रयुक्त रोकड़ अवशेष को या तो वापस किया जाना चाहिये या वसूली की जानी चाहिये।

तीन नगर निगमों में विगत एक से तीस वर्षों के दौरान कम/भुगतान हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया गया अग्रिम रू0 14.56 करोड़ समायोजन हेतु लम्बित था जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(रू0 लाख में)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	अवधि	उद्देश्य	प्राप्तकर्ता का विवरण	अग्रिम की लम्बित धनराशि
1	आगरा	31.03.2004 को	सामग्री क्रय	कर्मचारी	801.50
2	गोरखपुर	1975 से 1986	तदैव	तदैव	556.39
3	बरेली	1975 से 2003–04	तदैव	तदैव	97.94
				योग	**1455.83**

शीघ्र एवं समयान्तर्गत समायोजन/वसूली सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए तथा अग्रिमों की वसूली/समायोजन/अपलेखन हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गैर वसूली योग्य धनराशियों का अपलेखन किया जाना चाहिए।

2.2 करो, किरायों एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली न किया जाना।

शहरी स्थानीय निकाय अपने निजी स्रोतो–करो, किराया, शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, तहबाजारी, टैक्सी पड़ाव आदि से राजस्व प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2003–04 में तीन नगर निगमों में रू0 19.05 करोड़ की मांग के सापेक्ष मात्र रू0 8.82 करोड़ की वसूली की गयी थीं। निम्न विवरणानुसार एक वर्ष से अधिक समय से धनराशि रू0 10. 23 करोड़ किरायेदारों, अनुज्ञप्ति धारियों तथा ठेकेदारों से भाड़ा, अनुज्ञप्ति शुल्क तथा कर आदि के रूप में वसूली हेतु लम्बित थीः–

(रू0 लाख में)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	प्रकार	वर्ष 2003–04 में मांग	वर्ष 2003–04 में वसूली	31.03.2004 को वसूली हेतु अवशेष
1	आगरा	सम्पत्ति एवं विभव कर[1]	800.20	333.94	466.26
2	गाजियाबाद	बैनर एवं दीवार पुताई	10.01	5.00	5.01
		तहबाजारी[2]	3.93	–	3.93
3	बरेली	जल कर	287.40	132.10	155.30
		जल प्रभार	130.70	9.76	120.94
		गृहकर	252.14	99.28	152.86
		सीवर कर	69.02	22.88	46.14
		विविध	352.14	279.45	72.69
		महायोग	**1905.54**	**882.41**	**1023.13**

उ0प्र0 नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 के अनुसार नगर निगमों द्वारा बकाया मांग की वसूली हेतु कार्यवाही करने में विफलता के कारण लम्बित वसूली की सीमा तक नगर निगम राजस्व से वंचित थे।

2.3 रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किए जाने से राजस्व की हानि

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने भूमि के अंदर केबिल डालने हेतु गाजियाबाद में वर्ष 1988–89 से 1996–97 एवं 1999–2000 से 2003–04 तथा नगर निगम बरेली में वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के दौरान सड़कों की खुदाई की। रोड कटिंग प्रभार रू0 3.81 करोड़ (नगर निगम गाजियाबाद में रू0 2.79 करोड़ तथा नगर निगम बरेली में रू0 1.02 करोड़)

[1] सम्पत्ति एवं विभव कर
[2] नगर निगम सीमा के अंदर व्यापार एवं बोली पर कर

का बिल यद्यपि कि भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया था, परन्तु 31 मार्च 2004 तक वसूली लम्बित थी।

इस वृहद धनराशि का लम्बे समय से वसूली लम्बित रहने से न केवल नगर निगमों की वित्तीय स्थिति प्रभावित रही बल्कि प्रदान किये जाने वाली जनसुविधाओं के कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया।

2.4 चुँगी चौकी का निस्तारण न किये जाने से राजस्व अप्राप्ति

चुँगी भवन (चुँगी चौकी)

उ0प्र0 सरकार ने चुँगी चौकी भवनों के निस्तारण हेतु नगर निगमों को निर्देश दिया (अगस्त 2001) क्योंकि 1989 से चुँगी समाप्त हो जाने के कारण उनका कोई उपयोग नहीं था।

नगर निगम लखनऊ ने सर्वेक्षण के आधार पर रू0 1.59 करोड़ की आकलित लागत पर 17 चिन्हित भवनों के निस्तारण हेतु पहचान की । इन भवनों का निस्तारण अभी तक लम्बित था (मई 2005)।

2.5 व्यापार कर की कटौती न किए जाने से राजस्व हानि

मई 1987 से जून 1988 के दौरान नगर निगम कानपुर ने रु0 13.95 करोड़ की लागत से ठेकेदारी पर कार्य कराया। उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी थी। व्यापार कर विभाग से नोटिस प्राप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूली करने के बजाय 1991 से मार्च 2003 के दौरान नगर निगम ने अपनी स्वयं की निधि से रू0 55.78 लाख भुगतान किया । इसके अतिरिक्त व्यापार कर के विलम्ब से जमा करने के कारण व्यापार कर विभाग को रू0 0.42 करोड़ दण्ड स्वरूप भुगतान करना पड़ा ।

2.6 भूखण्डों की बिक्री न होने से राजस्व रू0 87.12 लाख की प्राप्ति न होना

नगर निगम गोरखपुर ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस कालोनी में रू0 2750.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से 72 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के 83 वाणिज्यिक भूखण्डों का विकास (1999–2000) किया। उपर्युक्त दर पर मात्र 9 भूखण्ड ही बिक सके। जिसके कारण अक्टूबर 2001 में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शेष भूखण्डों हेतु 25 प्रतिशत छूट पर बिक्री का प्रस्ताव दिया जाए। छूट के बावजूद, मई 2004 तक मात्र 30 भूखण्ड ही आवंटित/बिके थे । नगर निगम द्वारा बताया गया कि

शेष 44 भूखण्ड मुख्य मार्ग से दूर तथा हाईटेन्शन तारों के निकट होने के कारण नहीं बिक सके जो त्रुटिपूर्ण नियोजन का द्योतक है।

इस प्रकार स्थल चयन में समुचित नियोजन न होने के कारण नगर निगम रू0 87.12 लाख (44 x 72 x 2750) राजस्व से वंचित रहा।

नगर पालिका परिषद

2.7 किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना

नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार किराया, अनुज्ञप्ति शुल्क तथा कर नगर पालिका परिषदों की निधि के महत्वपूर्ण स्रोत है। 14 नगर पालिका परिषदों में 31 मार्च 2004 को जलकर, गृहकर, तहबाजारी, कारकस, सीवर प्रभार, मीटर प्रभार तथा दुकान किराया आदि की धनराशि रू0 8.61 करोड़ की वसूली लंबित थी **(परिशिष्ट –10)**।

राजस्व वसूली में कमी के कारण निजी स्रोतों से राजस्व प्राप्ति में कमी रही, इस प्रकार निधि की समग्र उपलब्धता में कमी रही ।

2.8 अनुदानों/निधि उपयोग न किया जाना

नमूना जांच की गयी 13 नगर पालिका परिषदों में विभिन्न स्रोतों से सड़क/नाली, वधशाला, विद्यालय भवन, आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2003–04 तक रू0 7.37 करोड़ की निधि/अनुदान प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त में से वर्ष 2003–04 तक रू0 4.45 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा था **(परिशिष्ट–11)** धनराशि का उपभोग न किए जाने से इस धनराशि से अपेक्षित जन सुविधाओं की स्थापना/मजबूती से नागरिक वंचित रहे।

2.9 भूमि के उपयोग हेतु शुल्क की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि

विभिन्न उद्देश्यों हेतु भूमि का उपयोग करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा परिषद को शुल्क का भुगतान किया जाना था। नगर पालिका परिषद फतेहपुर द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार भूमि के उपयोग हेतु बिजली विभाग से रू0 2.12 करोड़ के मांग की नोटिस जारी की गयी थी जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

क्रमांक	बिजली विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद की भूमि के उपयोग का उद्देश्य	भूमि का क्षेत्रफल/भूमि का उपयोग	अवधि	दर	धनराशि (रू0 लाख में)
1	इलेक्ट्रिल सेल तथा टूल्स	6770 वर्ग मी0	1981–82 से 2003–04	प्रति वर्ग मी0 प्रति माह –10	178.73
2	ट्रांसफार्मर (स0–86)	535 वर्गमी0	1997–98 से 2003–04	तदैव	3.85
3	विद्युत पोल	3500 सं0	1997–98 से 2003–04	रू0 10 प्रतिपोल /प्रतिमाह	29.40
				योग	**211.98**

धनराशि रू0 2.12 करोड़ की वसूली न किए जाने से नगर पालिका परिषद विभिन्न जन सुविधा सम्बन्धी कार्यो का वित्त पोषण नहीं कर सकी।

2.10 नीलामी धनराशि वसूल न किये जाने से राजस्व हानि

अपने निजी स्रोतों से राजस्व प्राप्ति हेतु विभिन्न उद्देश्यों (तांगा पड़ाव, सब्जीमंडी, पार्किंग, मेला, वधशाला आदि) के लिए नगर पालिका परिषदों की भूमि के उपयोग हेतु नीलामी करायी जाती है तथा ठेका दिया जाता है। वर्ष 1987–88 से 2002–03 के दौरान नमूना जांच की गयी दो नगर पालिका परिषदों में ठेकेदारों से ठेके की धनराशि रू0 9.47 लाख (1994–94 से 2001–02 के दौरान नगर पालिका परिषद बदायूँ में रू0 7.45 तथा नगर पालिका परिषद कैराना (मुजफ्फर नगर) में रू0 2.02 लाख) वसूली हेतु लम्बित थी। नीलामी धनराशि की वसूली में शिथिलता से स्पष्ट है कि विभिन्न जनसुविधा सम्बन्धी क्रियाकलापों के वित्त पोषण हेतु राजस्व स्रोतों को नगर पालिका परिषदों द्वारा छोड़ दिया गया **(परिशिष्ट–12)**।

2.11 रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किया जाना

नगर पालिका परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सड़क, नाली, ईंट कार्य को क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में दण्ड अधिरोपित करने एवं प्रतिकर की वसूली हेतु अधिकृत है। नगर पालिका परिषद बिन्दकी (फतेहपुर) में टेलीफोन विभाग से रोड कटिंग प्रभार, नयी जलापूर्ति पाइप लाइन की क्षति हेतु दण्ड तथा नाली की क्षति हेतु प्रतिकर धनराशि रू0 4.91 लाख वर्ष 2001–02 से सितम्बर 2004 तक वसूली नहीं की गयी थी जिसका उपयोग सड़कों की क्षतिपूर्ति हेतु किया जा सकता था।

2.12 विलेख शुल्क की अप्राप्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 128 की उपधारा (1) के अनुसार नगर पालिका परिषद के परिक्षेत्र के अंतर्गत स्थित स्थायी सम्पत्तियों के अंतरण विलेखों पर कर रोपित कर सकती है जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम के अनुसार ड्यूटी हेतु संगठित प्रतिफल की धनराशि पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। सभी आनुषांगिक प्रकारों की कटौती के उपरान्त उपरोक्त वृद्धि की समस्त प्राप्तियों को नगर पालिका परिषदों को अंतरित किया जाना था।

नगर पालिका परिषद कन्नौज द्वारा अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद वर्ष 1998 से 2002–03 के दौरान पंजीकरण विभाग से विलेख शुल्क से सम्बन्धित धनराशि रू0 48.28 लाख प्राप्त नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

वर्ष	धनराशि (रू0)	अभ्युक्ति
1998–99	655445.00	मार्च 1999 को छोड़कर
1999–00	978259.00	
2000–01	1013256.00	
2001–02	1238171.00	
2002–03	943275.00	सितम्बर 2003 तक
योग	**4828406.00**	

उक्त विशाल/विपुल धनराशि प्राप्त न किए जाने से नगर पालिका परिषद विविध जनसुविधा सम्बन्धी कार्यो हेतु वांछित वित्तीय संसाधनों से वंचित रहा।

2.13 सांविधिक वसूलियों का जमा न किया जाना

(i) उ0प्र0 नगर पालिका (केन्द्रीकृत) सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1981 की नियम 11 के अनुसार नगर पालिका परिषद द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन पेंशन निधि लेखा में पेंशन अंशदान की धनराशि जमा किया जाना चाहिए।

नगर पालिका परिषद इटावा में राज्य सरकार से निधि न प्राप्त होने के कारण अप्रैल 1985 से मार्च 2003 तक पेंशन अंशदान की देय धनराशि रू0 1.00 करोड़ लेखे में जमा नहीं की गयी थी। सम्बन्धित शीर्ष में निधि की अनुपलब्धता के कारण सितम्बर 1999 से दिसम्बर 2003 के मध्य सेवा निवृत्त 10 कर्मचारियों को जून 2004 तक भुगतान नहीं किया गया था।

(ii) भविष्य निधि नियमों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की कटौती की गयी भविष्य निधि की धनराशि को इस उद्देश्य हेतु बैंक में खोले गये कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाना चाहिए था।

दो नगर पालिका परिषदों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों के वेतन से की गयी कटौती की धनराशि रू0 1.34 करोड़ (रू0 0.98 करोड़ इटावा में तथा रू0 0.36 करोड फतेहपुर में) कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा न करके अन्यत्र व्यय कर दिया गया (मार्च 2003) जिससे सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की मुश्किले बढ़ गयी ।

2.14 बजट से अधिक व्यय

वित्तीय नियमों एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 103 के प्रावधानों के अनुसार बजट से अधिक व्यय निषिद्ध है। नगर पालिका परिषदें बिना आधिक्य व्यय के विनियमितीकरण की प्राविधानित प्रक्रिया का पालन किये सम्बन्धित शीर्षो हेतु पारित बजट से अधिक व्यय नहीं कर सकती है।

दो नगर पालिका परिषदों में निम्न विवरणानुसार वर्ष 2002–04 के दौरान बिना आधिक्य के विनियमितीकरण का प्रावधान किए कुछ शीर्षों पर बजट प्रावधानों के सापेक्ष रू0 14.81 लाख का व्यय किया गया था।

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगरपालिका परिषद का नाम	वर्ष	विवरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	व्यय का आधिक्य
1	सहारनपुर	2003–04	(1) सामान्य प्रशासन	36.00	39.79	3.79
			(2) अतिरिक्त अधिष्ठान	1.50	3.83	2.33
2	विलासपुर (रामपुर)	2002–03	स्वच्छता	31.20	32.33	1.13
		2003–04	स्वच्छता	30.00	37.56	7.56
					योग	**14.81**

बजट प्रावधानों से अधिक व्यय एवं प्रावधानित प्रक्रिया के पालन में विफलता, बजट नियंत्रण प्रक्रिया कमजोर होने का द्योतक हैं।

2.15 आयकर/व्यापार कर की कम कटौती/जमा न किया जाना

वर्ष 2001 से 2004 की अवधि के दौरान नगर पालिका परिषद बिन्दकी (फतेहपुर) में ठेकेदारों के देयकों से रू0 4.01 लाख की कटौती की गयी थी। शासन को राजस्व से वंचित रखते हुए तथा व्यापार कर अधिनियम 1948 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त धनराशि अगस्त 2004 तक शासकीय लेखे में नहीं जमा की गयी थी।

इसी नगर पालिका परिषद में वर्ष 2003–04 के दौरान ठेकेदारों के देयकों से स्रोत पर आयकर कटौती की धनराशि रू0 0.86 लाख अगस्त 2004 तक शासकीय लेखे में जमा नही की गयी थीं इसी प्रकार नगर पालिका परिषद घनौरा (जे0पी0नगर) में ठेकेदार के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्य पर रू0 8.77 लाख व्यय किया गया था। यद्यपि कि आयकर के रूप में रू0 0.20 लाख कटौती किया जाना था जिसके सापेक्ष मात्र रू0 0.18 लाख की कटौती की गयी थी, परिणामस्वरूप राजस्व वसूली में रू0 0.02 लाख की कमी रही ।

2.16 असमायोजित अग्रिम

कर्मचारियों को विविध उद्देश्यों हेतु दिये गये अग्रिमों का समायोजन अग्रिम वाले वर्ष के अंत के पूर्व तक कर लिया जाना चाहिए तथा पूर्व अग्रिम के समायोजन के उपरान्त ही दूसरा अग्रिम दिया जाना चाहिए।

वर्ष 1986–87 से 2003–04 के मध्य नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर (जौनपुर) में आठ कर्मचारियों को सामग्री तथा विविध मरम्मत कार्यो आदि के लिए रू0 2.00 लाख अग्रिम दिया गया था जो अगस्त 2004 तक असमायोजित था **(परिशिष्ट–13)**।

यह नगर पालिका परिषद की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का द्योतक है।

2.17 कार्यपूर्ण करने में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न किया जाना

अक्टूबर 2001 से जनवरी 2002 के मध्य नगर पालिका परिषद, पालिया कला (लखीमपुर खीरी) में ठेकेदारों से निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध किए गए थे। कार्यपूर्णता में विलम्ब हेतु अनुबन्ध की शर्तों में दण्ड का प्रावधान था, जिसके अनुसार प्रत्येक विलम्ब दिन हेतु रू0 50 प्रतिदिन की दर से ठेकेदार से वसूल किया जाना था। ठेकेदारों द्वारा कार्यपूर्णता में विलम्ब हेतु दण्ड की धनराशि रू0 0.37 लाख की वसूली अगस्त 2004 तक नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट–14)**।

नगर पंचायत

2.18 किराया, कर एवं उपकर की वसूली न किया जाना

(i) 18 नगर पंचायतों की गृहकर की रू0 104.81 लाख की मांग के सापेक्ष 31 मार्च 2004 तक रू0 79.53 लाख की वसूली नहीं की जा सकी थी, इस प्रकार नगर पंचायत विविध जन सुविधाओं के विकास एवं रख रखाव हेतु वांछित महत्वपूर्ण राजस्व से वंचित रही **[परिशिष्ट 15(अ)]** ।

चार नगर पंचायतों [गोपामऊ (हरदोई), मेहनगर (आजमगढ़) कटघर लालगंज (आजमगढ़) तथा केराकत (जौनपुर)] में लेखापरीक्षा में वर्ष 2003–04 में मांग व वसूली का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी ।

(ii) 20 नगर पंचायतों में 31 मार्च 2004 को विविध देय रू0 65.37 लाख किरायेदारों, अनुज्ञप्ति धारियों, ठेकेदारों आदि से वसूली हेतु लम्बित थे। लंबित वसूलियों के कारण जन सुविधाओं के कार्यो के सम्पन्न करने हेतु वांछित संसाधनों से नगर पंचायते वंचित रही **[परिशिष्ट –15 (ब)]**

2.19 अप्रयुक्त निधि

विभिन्न उद्देश्यों हेतु 6 नगर पंचायतों को विविध स्रोतों, यथा ग्यारहवाँ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा अवस्थापना निधि से अवमुक्त रू0 109.95 लाख में से धनराशि रू0 42.98 लाख अप्रयुक्त पड़ी रही (विवरण निम्नवत है)।

परिणामस्वरूप निधि अप्रयुक्त पड़ी रही तथा लोग आशायित लाभ से वंचित रहें।

(रू0 लाख में)

निधियों का स्रोत	अवमुक्त धनराशि	उपभोग की गयी धनराशि	अप्रयुक्त धनराशि
ग्यारहवाँ वित्त आयोग	7.61	2.78	4.83
राज्य वित्त आयोग	81.84	52.55	29.29
अवस्थापना निधि	20.50	11.64	8.86
योग	109.95	66.97	42.98

(नगर पंचायतवार अप्रयुक्त धनराशि का विवरण परिशिष्ट–16 में दिया गया है)

2.20 अनुज्ञप्ति शुल्क कम/अनारोपण से राजस्व हानि

उ0प्र0 शासन ने दिनांक 27 अक्टूबर 1994 तथा तथा दिनांक 16 दिसम्बर 1997 को जारी आदेश के माध्यम से विविध क्रियाकलापों (दुकान, होटल, नर्सिंग होम, परिवहन आदि) हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क की बढ़ी हुई दरें सूचित किया जो 31 मार्च 1999 से नगर पंचायतों में लागू होना था।

लेखा परीक्षा में नमूना जांच की गयी तीन नगर पंचायतों में अगस्त 2004 तक अनुज्ञप्ति शुल्क के कम/अनारोपण से रू0 11.63 लाख की राजस्व हानि प्रकाश में आयी जिससे नगर पंचायतों द्वारा विविध क्रियाकलापों के सम्पादन हेतु संसाधनों की उपलब्धता की कमी रही **(परिशिष्ट–17)**।

2.21 कम मूल्य पर ठेका दिए जाने से राजस्व हानि

कम मूल्य पर ठेका दिये जाने से रू0 8.28 लाख की राजस्व हानि ।

नगर पंचायत, सासनी, महामायानगर में तहबाजारी, तांगा पड़ाव एवं पैंठ मवेशी आदि का ठेका नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर दिये जाने के कारण राजस्व हानि रू0 8.28 लाख का प्रकरण प्रकाश में आया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(रू0 लाख में)

क्रमांक	विवरण	2002–03			2003–04		
		निर्धारित दर	नीलामी दर	अंतर	निर्धारित दर	नीलामी दर	अंतर
1	तहबाजारी	3.00	2.22	0.78	4.00	2.50	1.50
2	पैठ मवेशी	1.00	0.40	0.60	1.00	0.41	0.59
3	तांगा पड़ाव अलीगढ़ गेट	4.00	2.90	1.10	6.00	4.60	1.40
4	तंगा पड़ाव हाथरस गेट	5.00	4.20	0.80	6.00	5.42	0.58
5	तांगा पड़ाव विजयागढ़ गेट	2.00	1.28	0.72	2.00	1.79	0.21
	योग			**4.00**			**4.28**

2.22 स्टाम्प ड्यूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि

स्टाम्प ड्यूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि रू0 5.09 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (यथासंशोधित) के अनुसार संविदाओं के अनुबन्धों पर स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित किया जाना चाहिए।

नमूना जांच की गयी 7 नगर पंचायतों में विभिन्न उद्देश्यों हेतु ठेके दिये गये थे परन्तु स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित नही किए गए थे, परिणामस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित न किए जाने से रू0 5.09 लाख की राजस्व हानि हुई **(परिशिष्ट–18)**।

2.23 आयकर एवं व्यापार कर का न जमा किया जाना/कम कटौती/कटौती न किया जाना

आयकर एवं व्यापार कर की धनराशि रू0 1.33 लाख कटौती न किया जाना/कम कटौती/ जमा न किया जाना ।

वर्ष 2003–04 के दौरान 7 नमूना जांच की गयी नगर पंचायतों में से –

(i) दो नगर पंचायतों[3] में ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गयी व्यापार कर की धनराशि रू0 0.34 लाख एवं आयकर की धनराशि रू0 0.20 लाख शासकीय लेखे में नहीं जमा की गयी थी।

(ii) चार नगर पंचायतों[4] में ठेकेदारों को भुगतान करते समय व्यापार कर रू0 0.48 लाख एवं आयकर रू0 0.26 लाख, बिलों से कटौती नहीं की गयी थी।

(iii) दो नगर पंचायतों[5] में आयकर की धनराशि रू0 0.02 लाख कम कटौती की गयी थी । और

(iv) एक नगर पंचायत[6] में ठेकेदार के बिल से व्यापार कर की धनराशि रू0 0.03 लाख कम कटौती की गयी थी **(परिशिष्ट–19)**। ठेकेदार को असम्यक लाभ देने के अतिरिक्त इससे न केवल लागू अधिनियम का उल्लंघन हुआ बल्कि शासन राजस्व से वंचित रहा।

2.24 संस्तुतियाँ

उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संदर्भ में राज्य सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित संस्तुतियाँ की जाती हैः–

1. निम्नलिखित को सुनिश्चित किए जाने हेतु नगर निगम विभाग तथा निदेशक स्थानीय निकाय के साथ–साथ सम्बन्धित नगरीय निकाय के प्रबन्धन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

[3] शंकरगढ. (इलाहाबाद) तथा शासनी (महामायानगर)
[4] सरायमीर (आजमगढ़), मेहनगर (आजमगढ़), कटघर लालगंज (आजमगढ़) तथा महामायानगर
[5] झालू (बिजनौर) तथा किराकत (जौनपुर)
[6] किराकत (जौनपुर)

- अनियमित व्यय हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण
- लम्बित अग्रिम आदि की शीघ्र वसूली/समायोजन/बट्टे खाते डालने
- राजस्व संग्रह/वसूली में सुधार
- राजस्व हानि/रिसाव को रोकना
- निधि का सामयिक एवं दक्षतापूर्ण उपयोग
- सांविधिक करों की सामयिक कटौती तथा शासकीय लेखों में प्रेषण

2. राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में सांविधिक लेखाकारों द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखें के प्रमाणीकरण के प्रावधानों को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिऐ।

इलाहाबाद
दिनांकः 25 अगस्त, 2006

वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(स्थानीय निकाय)